

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला शाहपुरा (राज.)

संख्या - 127/2024
राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

अधिकाारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)
पुत्र श्री रामनाथ जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
— (प्रार्थी)

बनाम

- 1 शंकर पुत्र जीवण जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 2 श्री मिश्री जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 3 रामलाल पुत्र रामलाल जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 4 शंकर सिंह पुत्र नंदराम जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 5 श्रीमति संतोक पुत्री सोराम पत्नि श्री शंकर जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी डिकोला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 6 श्रीमति आगामी पत्नि सीताराम जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी डिकोला तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 7 श्रीमति शांति पुत्री सोराम पत्नि सत्यनारायण जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 8 श्रीमति पार्वती पुत्री सोराम पत्नि कन्हैयालाल जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 9 श्रीमति गुलाबी पत्नि मिश्री जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 10 श्रीमति नोसर पत्नि श्री प्रहलाद जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 11 कमलेश पुत्र प्रहलाद संरक्षक सरपरस्त माता नोसर जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 12 रामस्वरूप पुत्र श्रवण जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 13 कन्हैयालाल पुत्र गंगाराम जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 14 श्रीमति लाड पुत्री गंगाराम जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 15 श्रीमति भंवरी पुत्री प्रहलाद जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 16 काना पुत्र श्री रामगोपाल जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
- 17 शंभु पुत्र श्री नाराण जाति बावरी उम्र वयस्क निवासी नई राज्यास तहसील फूलियाकला जिला, शाहपुरा
— (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता— श्री डी.एल राजोरा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 30.08.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 25.07.2024 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि व्वाके ग्राम कनेछनखुर्द पटवार मण्डल कनेछनखुर्द भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 351 के आ.न. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 466, 467 एवं 468 किता 17 कुल रकबा 4.22 हैक्टर भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। च

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 25.07.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर व्वाके ग्राम कनेछनखुर्द पटवार मण्डल कनेछनखुर्द भू.अ. नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 351 के आ.न. 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 466, 467 एवं 468 किता 17 कुल रकबा 4.22 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी बसामलाल पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक कनेछनकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीयान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं